न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04/2021

बउनवान

रामगोप पुत्र श्री छोगा उम्र 55 साल जाति मीणा निवासी आंकेड़ी तहसील व जिला बारां (राज.)
(अपीलांट)

बनाम

1. बबलू आयु 28 साल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मीणा
2. जगन्नाथ आयु 50 साल पुत्र श्री छोगा जाति मीणा निवासी आंकेड़ीं तहसील व जिला बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 166 दिनांक 20.06.2000 ग्राम आंकेड़ी अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री राजेश गुप्ता एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 13.12.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आंकेड़ी में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 413 रकबा 0.37 है. पर अपीलान्ट के नाना रोडू का फौती नामान्तरण संख्या 166 दिनांक 20.06.2000 दर्ज किया गया है। जिसकी तहसीलदार बारां द्वारा कोई विधिवत जांच नहीं की गई है। मात्र हल्का पटवारी की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त इन्तकाल संख्या 166 बहक अप्रार्थी दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी के खातेदार रोडू की एकमात्र वारिस एवं विधिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट की माता केलाबाई थी। केलाबाई का भी स्वर्गवास हो गया है। केलाबाई के दो पुत्र रामगोप एवं जगन्नाथ तथा दो पुत्रियां कैलाश एवं सुमित्रा हैं। दिनांक 20.06.2000 को रेस्पोडेन्ट बबलू नाबालिग था जबकि उक्त इंतकाल में नाबालिग जर्ये वली कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है और उक्त इन्तकाल में बबलू को केलाबाई का पुत्र बताया गया है जबकि रेस्पोडेकन्ट बबलू रेस्पोडेन्ट जगन्नाथ का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जमीन हड़पने के उद्देश्य से उक्त इन्तकाल तस्दीक करवाया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पों. क्रम 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर उसके दादा श्री छोगा का इन्तकाल नंबर 344 दिनांक 20.05.2008 को ग्राम पंचायत थामली द्वारा तस्दीक किया हुआ है जिसमें बबलू को नाबालिग बताया गया है और नाबालिग की वली माता राजूबाई को दर्शाया गया है। इससे प्रमाणित है कि सन् 2000 में इन्तकाल तस्दीक करते समय रेस्पो. क्रम 1 नाबालिग था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नंबर 166 दिनांक 20.06.2000 ग्राम आंकेड़ी निरस्त किया जाकर तहसीलदार बारां को आदेशित किया जावे कि वह मृतक रोडू की वारिसान की जांच कर उक्त आराजी का इन्तकाल तस्दीक करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज0)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक

उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आंकेड़ी में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 413 रकबा 0.37 है. अपीलान्ट के नाना रोडू के खाते की थी जिनकी मृत्यु होने पर अपीलाधीन फौती इन्तकाल खोला जाकर तस्दीक किया गया है। मृतक रोडू की एकमात्र वारिस अपीलांट व रेस्पो. कम 2 की माता मृतक केलाबाई थी। परन्तु अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पो. कम 2 ने रेस्पो. कम 1 को मृतक केलाबाई का पुत्र बताकर उक्त इन्तकाल तस्दीक करवा लिया जबकि रेस्पो. कम 1 मृतक केलाबाई पत्नि छोगालाल के पुत्र रेस्पो. कम 2 का पुत्र है जो तत्समय नाबालिग था। रेस्पो. कम 1 को रेस्पो. कम 2 का भाई बताकर उक्त इन्तकाल खुलवाकर तस्दीक करवाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नंबर 166 दिनांक 20.06.2000 ग्राम आंकेड़ी निरस्त किया जाकर तहसीलदार बारां को आदेशित किया जावे कि वह मृतक रोडू के वारिसान की जांच कर उक्त आराजी का इन्तकाल तस्दीक करे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि मध्य नहीं होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा वारिसान की जांच कर विधिवत इन्तकाल खोला गया है जो सही एवं सत्य है। अपीलांट की अपील अवधि मध्य नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत थामली के इन्तकाल नंबर 344 दिनांक 20.05.2008 से साबित है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 बबलू नाबालिग है तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 का पुत्र है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 166 दिनांक 20.06.2000 में रेस्पोडेन्ट कम 1 बबलू को छोगालाल का पुत्र बताया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जाने में त्रुटि होना तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम आंकेड़ी का नामान्तकरण संख्या 166 दिनांक 20.06.2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार रोडू के समस्त वारिसान की जानकारी कर विधि अनुसार पुनः नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)